FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0222 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/08/2025 18:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/08/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:40 बजे **Time To (समय तक):** 11:54 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/08/2025 **Time (समय):** 15:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/08/2025 18:25:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** NAGAR PALIKA, LAXMANGARH, SIKAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GAJRAJ SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SAMANDER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PHADANPURA, LAXMANGARH, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PHADANPURA, LAXMANGARH, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91[redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DIVYA PRAKASH CHAUMAL			1. NAGAR PALIKA,LAXMANGARH SIKAR,LAXMANGARH(SIKAR),SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	5000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 25.08.2025 को परिवादी श्री गजराज सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी ग्राम फदनपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर, मो0न[redacted] ने उपस्थित होकर उप अधीक्षक पुलिस को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं के आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोप्रति एवं सूचना के अधिकार के अधिकारी का आवेदन प्रपत्र के इस आशय की पेश की कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं विषय रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं गजराज सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह निवासी ग्राम फदनपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर का रहने वाला हूॅं। लक्ष्मणगढ कस्बा में गणेश जी के मन्दिर के पास वार्ड न 14 पुराना व वार्ड न 23 नया में मनोहर जलाश्य था जिसको वर्तमान में भूमाफियो द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर उक्त मनोहर जलाश्य को धराशाही कर दिया। उस पर निर्माण कार्य कर दुकाने बनाई जा रही है। मैने नगर पालिका लक्ष्मणगढ से प्याउ की जगह पर निर्माण स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु नगर पालिका लक्ष्मणगढ में दिनांक 12.08.2025 को सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र लगाया लेकिन आज दिनांक तक मुझे सूचना नही दी गई। दिनांक 22.08.2025 को मेरे पास शाम को टाईम 06.49 मिनट पर नगर पालिका के बाबुजी दिव्य प्रकाश का फोन आया और कहा कि खर्चा पानी लेकर आओ तो मै तुम्हे तुम्हारी सूचना उपलब्ध करवा दुंगा। मैने पूछा उनसे की कितने पैसे लगेगे तुम आ जाना बात कर लेगे और पांच हजार रुपये तक खर्चा पानी लगेगा। मै मेरे जायज काम के लिए दिव्य प्रकाश को रिश्वत के पांच हजार रुपये नही देना चाहता हूॅं और रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूॅं। बाबु दिव्य प्रकाश से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार का लेन देन बकाया। रिपोर्ट करता हूॅं कानुनी कार्यवाही करें। दिनांक 25.08.2025 भवदीय एसडी गजराज सिंह पुत्र श्री समंदर सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी फदनपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ (सीकर) मो0न[redacted] परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग सत्यापन का पाया गया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि श्री दिव्य प्रकाश आज नही मिलेगा। मै कल दिनांक 26.08.2025 को श्री दिव्य प्रकाश से मिलकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। मै कल लक्ष्मणगढ में मिला जाउंगा आप अपने किसी कर्मचारी को लक्ष्मणगढ भिजवा देना। आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी जावेगी। रिश्वत मांग सत्यापन से जैसी स्थिति रहेगी उस पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर परिवादी को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। कार्यालय के श्री प्रवीण कुमार न0 36 को बुलाकर परिवादी श्री गजराज सिंह से आपस में परिचय करवाया गया। कानि प्रवीण कुमार को दिनांक 26.08.2025 को लक्ष्मणगढ पहुंच गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 26.08.2025 डिजिटल वॉयस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कानि श्री प्रवीण कुमार न 36 को सुपूर्द कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु लक्ष्मणगढ रवाना किया। कानि श्री प्रवीण कुमार ने जरिये मोबाईल फोन बताया कि बस स्टेण्ड लक्ष्मणगढ पहुंचा जहा परिवादी श्री गजराज सिंह उपस्थित मिला। मै व परिवादी श्री गजराज सिंह मोटर साईकिल से रवाना होकर नगर पालिका के पास पहुंचे। मैने परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमेरी कार्ड चलाने व बन्द की समझाईश की तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु नगर पालिका लक्ष्मणगढ के लिए रवाना किया। मै वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी बात श्री दिव्य प्रकाश से हो गई है जिसने मेरे से मेरे काम के लिए पांच-छः हजार रुपये रिश्वत की मांग की है तथा रिश्वत राशि आज शाम तक देने की कही है जिस पर मैने कल दोपहर या शाम तक रिश्वत राशि देने की कही है। मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो परिवादी द्वारा बताई बातो की पुष्टी होना पाई गई। उसी दौरान कानि ने परिवादी श्री गजराज सिंह से भी वार्ता करवाई जिसने भी कानि द्वारा बताई बातो की ताईद की। परिवादी ने अपने घर पर जरुरी कार्य होने से आज एसीबी कार्यालय झुंझुनूं उपस्थित होने में असमर्थता जताई जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को दिनांक 27.08.2025 को एसीबी कार्यालय झुंझुनूं में आने की हिदायत की। कानि प्रवीण कुमार बाद रिश्वत मांग सत्यापन कर कार्यालय आया तथा उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द किया जिसे मैने चालु कर सुना गया तो कानि प्रवीण कुमार द्वारा मोबाईल पर बाताई गई बातो की पुष्टी हुई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर

को अलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 उप निदेशक आयुर्वेद विभाग झुंझुनूं से दो स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगड़िया वरिष्ठ सहायक कार्यालय एवं श्री लालचन्द सहायक प्रशासनिक अधिकारी लेकर आया जिन्हे आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 27.08.2025 को स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगड़िया वरिष्ठ सहायक एवं श्री लालचन्द सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं परिवादी श्री गजराज सिंह उपस्थित आने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपस में परिचय करवा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती प्राप्त कर परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री गजराज सिंह व आरोपी श्री दिव्य प्रकाश बाबू के बीच दिनांक 26.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मपाल बगड़िया वरिष्ठ सहायक एवं श्री लालचन्द सहायक प्रशासनिक अधिकारी व परिवादी श्री गजराज सिंह की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री प्रवीण कुमार कानि 36 द्वारा तैयार किया जाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की तीन पेनड्राईव तैयार की गई। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु निकाली गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज श्री दिव्य प्रकाश बाबू की आवाज होने की पहचान की है। उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री गजराज सिंह ने रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री लालचन्द कुमावत से परिवादी श्री गजराज सिंह की जामा तलाशी लिवाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 5000/- रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि10 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री गजराज सिंह को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री गजराज सिंह को सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। उप अधीक्षक पुलिस मय श्री प्रवीण कुमार कानि 36, स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगड़िया एवं श्री लालचन्द, परिवादी श्री गजराज सिंह सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्री राकेश कुमार 243, श्री नरेन्द्र कुमार 91, श्री कुमार शानु कानि 138, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय से रवाना हो कस्बा लक्ष्मणगढ स्थित नगर पालिका से पहले गऊशाला के पास पहॅुच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी श्री गजराज सिंह एवं श्री प्रवीण कुमार 36 को परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी श्री दिव्य प्रकाश को रिश्वत देने हेतु नगर पालिका के लिए रवाना किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री ईशाक मौहम्मद कानि, श्री कुमार शानु कानि, स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मपाल बगड़िया एवं श्री लालचन्द के नगर पालिका के आसपास परिवादी के ईशारे के तय इंतजार में मुकिम हुये। इसके बाद परिवादी श्री गजराज सिंह को श्री दिव्य प्रकाश के पास रिश्वत राशि देने हेतु दो बार और भेजा गया लेकिन रिश्वती राशि का लेनेदेन नही होने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी तथा श्री दिव्य प्रकाश ने रिश्वती राशि कल 11 बजे लेकर आने की कही जिस पर परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि 5000 रुपये निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई गई। परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया। दिनांक 28.08.2025 को उप अधीक्षक पुलिस मय श्री प्रवीण कुमार कानि 36, स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगड़िया एवं श्री लालचन्द सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्री राकेश कुमार 243, श्री कुमार शानु कानि 138, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री नरेन्द्र कुमार 91 को सफेद लिफाफे में रखी रिश्वती राशि 5000 देकर मय प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय से रवाना होकर लक्ष्मणगढ कस्बे से पहले मुकन्दगढ रोड पर पहुंचे जहां

परिवादी श्री गजराज सिंह अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। परिवादी श्री गजराज सिंह की स्वतंत्र गवाह श्री लालचन्द से तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नही रहने दी गई। कानि नरेन्द्र कुमार न 81 से लिफाफे में रखी रिश्वती राशि 5000 रुपये निकलवाकर परिवादी श्री गजराज सिंह की पहनी हुई जींस पेंट की आगे की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर एवं मैमोरी कोर्ड परिवादी श्री गजराज सिंह को सुपूर्द किया गया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि को वही छोड मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री ईषाक मौहम्मद कानि 40, श्री कुमार सानू कानि 138, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगड़िया एवं लालचन्द कुमावत मय प्राईवेट एवं सरकारी वाहन तथा श्री प्रवीण कुमार कानि 36 को परिवादी के साथ उसकी मोटर साईकिल से रवाना होकर न्यायालय परिसर से आगे नगर पालिका के पास पहुँच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। परिवादी को श्री प्रवीण कुमार कानि के साथ मोटर साईकिल से दिव्य प्रकाश बाबू के पास नगर पालिका कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस वही ट्रेप पार्टी सदस्यो के साथ गाडी में परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में ट्रेप का जाल बिछाया गया तथा कानि ईशाक मौहम्मद 40 व कुमार शानु 138 को नगर पालिका के पीछे की तरफ गली में निगरानी हेतु रवाना किया। समय 11.54 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता वाहन से नगर पालिका के मुख्य गेट पर पहुँचे जहा श्री प्रवीण कुमा कानि मौजुद मिला तथा आगे गैलेरी में परिवादी श्री गजराज सिंह उपस्थित मिला । परिवादी ने हाथ का ईशारा कर बताया की श्री दिव्य प्रकाश इस कमरे में बैठे है। उक्त कमरे के बाहर कम्प्युटर कक्ष कमरा न 09 लिखा हुआ में परिवादी के साथ प्रवेश किया तथा परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने अपने हाथ से कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यही श्री दिव्य प्रकाश है जिन्होने अभी मेरे को रिश्वती राशि नगर पालिका की प्रथम मंजिल पर स्थित अपने कक्ष में कम्प्युटर टेबल पर रखे कम्प्युटर माउस के पैड के नीचे रखने का हाथ से ईशारा किया जिस पर मैने श्री दिव्य प्रकाश के इशारे अनुसार रिश्वती राशि 5000 रुपये कम्प्युटर माउस के दो पैड के बीच में रख दी तथा उनके साथ नीचे आ गये। उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम दिव्य प्रकाश चौमाल पुत्र श्री चौथमल चौमाल जाति ब्राहम्ण, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड न 25 पुराना व 34 नया, रामदेवजी मन्दिर के पास, मुकन्दगढ रोड, लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक नगर पालिका लक्ष्मणगढ जिला सीकर होना बताया। उप अधीक्षक पुलिस ने श्री दिव्य प्रकाश को परिवादी श्री गजराज सिंह से 5000 रुपये रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो श्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि मैने श्री गजराज सिंह से रिश्वत नही मांगी थी तथा मैने उनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री गजराज सिंह ने श्री दिव्य प्रकाश की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि मै मेरी सूचना के अधिकार के तहत सूचना लेने हेतु श्री दिव्य प्रकाश के पास उनके कार्यालय कक्ष स्टोर रुम में गया तो श्री दिव्य प्रकाश ने मुझे रिश्वती राशि 5000 रुपये अपनी टेबल पर रखे कम्प्युटर माउस के पैड के नीचे रखने का हाथ से ईशारा किया जिस पर मैने उनके ईशारे अनुसार टेबल पर रखे कम्प्युटर माउस के दो पैड के बीच में रख दी थी। उप अधीक्षक पुलिस ने हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान की मदद से श्री दिव्य प्रकाश को हमराह लेकर नगर पालिका की प्रथम मंजिल पर श्री दिव्य प्रकाश के कक्ष स्टोर रुम में पहुंचे जहा कक्ष में प्रवेश करते ही बाई और एक टेबल रखी हुई थी तथा टेबल पर दो कम्प्युटर माउस के पैड रखे हुये दिखाई दिये। उक्त दोनो कम्प्युटर माउस के पैड पर अग्रेजी में शारदा कम्प्युटर्स व डेल एच.पी. लेनोवा लिखा हुआ है। परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री लालचन्द कुमावत को टेबल पर रखे कम्प्युटर माउस के एक पैड को उठवाया गया तो कम्प्युटर माउस के पैड के नीचे पांच-पांच सौ रुपये के नोटो की थई दिखाई दी। गवाह श्री लालचन्द से उक्त नोटो को गिनवाया तो गवाह ने पांच-पांच सौ रुपये के 10 नोट कुल 5000 रुपये होना बताया। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो गवाहान ने पांच-पांच सौ रुपये के 10 नोट कुल 5000 रुपये पूर्व की बनी फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट के मुताबिक अनुसार होना बताया जिनका विवरण निम्न प्रकार है 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 4RG 818473 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 7VQ 128073 3.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9CK 710610 4.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9CK 710604 5.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9CK 710600 6.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 3PQ 369220 7.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9CK 710611 8.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9CK 710613 9.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 3UR 713681 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 2MM 848158 बरामदशुदा उपरोक्त 5000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पष्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास साफ पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री दिव्य प्रकाश के कक्ष में रखी टेबल के उपर रखे कम्प्युटर माउस के दोनो पैडो से धोवन लेने हेतु एक सफेद छोटे कपडे को भिगोकर उक्त दोनो कम्प्युटर माउस की पैड

पर रगडकर उक्त छोटे कपडे को सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर कम्प्युटर माउस के दोनो पैड के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क टी-1 टी-2 अंकित किया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। कम्प्युटर माउस के दोनो पैड पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर दोनो पैड को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर कपड़े की थैली को सील मोहर कर, कपडे की थैली पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क बी अंकित किया गया। सफेद कपडे का छोटा टुकडा जिससे कम्प्युटर के दोनो पैड से धोवन लिया गया को सुखाकर कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा थैली को शिल्ड मोहर कर मार्क सी अंकित किया गया। परिवादी ने बताया कि श्री दिव्य प्रकाश ने रिश्वती राशि अपने हाथ से नही लेकर ईशारे से अपनी टेबल पर रखे कम्प्युटर माउस पैड के नीचे रखवाई है तथा आरोपी ने भी बताया कि मैने श्री गजराज सिंह से रिश्वती राशि नही ली है। इस कारण आरोपी श्री दिव्य प्रकाश द्वारा रिश्वती राशि नही लेने बाबत व ना ही ईशारा कर रखने बाबत कहा है इसलिए आरोपी के हाथो का धोवन नही लिया गया है। आरोपी श्री दिव्य प्रकाश कनिष्ठ सहायक को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुनः पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि अधिशाषी अधिकारी के आदेशानुसार मैने दिनांक 22.08.2025 को निर्माण स्वीकृति शाखा, 69क पट्टा शाखा एवं सफाई निरीक्षण का आज से करीब 10 दिन पूर्व चार्ज लिया था। श्री गजराज सिंह का सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र श्री महेन्द्र सिंह फायरमैन से मुझे दिनांक 21.08.2025 को प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैं तीन दिन तक अवकाश पर रहा था। श्री गजराज सिंह अपनी सूचना लेने के लिए मेरे पास दिनांक 26.08.2025 को आया था जिन्हे मैने एक दो दिन में सूचना देने के लिए कहा था। दिनांक 27.08.2025 को भी श्री गजराज सिंह मेरे पास अपनी सूचना लेने हेतु आया था लेकिन सूचना तैयार नही होने पर सूचना अगले दिन लेने के लिए कहा था। श्री गजराज सिंह आज मेरे पास सूचना लेने के लिए आया था जिन्हे मैने ई.ओ. साहब के आने पर सूचना देने के लिए कहा था। परिवादी श्री गजराज सिंह की सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना निर्माण स्वीकृति पत्रावली पेज संख्या 01 से 96 तक, नगर पालिका लक्ष्मणगढ के पत्रांक 1423-26 दिनांक 07.08.2025 द्वारा ई.ओ. नगर पालिका द्वारा जारी कार्मिको के कार्य प्रभार आवंटन आदेश पेज संख्या 01 से 02 तक, श्री गजराज सिंह द्वारा सूचना के अधिकार का आवेदन प्रार्थना पत्र, भारतीय पोस्टल आर्डर मय कार्यालय नोटशीट पेज 01 से 04 तक श्री नवीन काला कनिष्ठ अभियंता ने स्वयं द्वारा प्रमाणित कर पेश की जो शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री दिव्य प्रकाश, कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका लक्ष्मणगढ जिला सीकर बरामदगी रिश्वत राशि, धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये मोबाईल श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क डी अंकित किया गया। आरोपी श्री दिव्य प्रकाश चौमाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर पालिका लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री गजराज सिंह की आरोपी श्री दिव्य प्रकाश के साथ वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड किया गया हैं को लेपटॉप से जोड़कर रिकार्ड वार्ता को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि प्रवीण कुमार न 36 से तैयार करवाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पेनड्राईव तैयार की गई। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड कर मार्क ई अंकित किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे के पैकेट पर मार्क ई-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री दिव्य प्रकाश की आवाज होने की पहचान की। बाद कार्यवाही उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री दिव्य प्रकाश कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका लक्ष्मणगढ जिला सीकर व जप्त शुदा वजह सबुत आर्टिकल के नगर पालिका लक्ष्मणगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दिव्य प्रकाश चौमाल पुत्र श्री चौथमल चौमाल, जाति ब्राहम्ण, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 25, नया वार्ड नम्बर 34, रामदेवजी मन्दिर के पास, मुकुन्दगढ रोड, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर पालिका लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री गजराज सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने की एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 26.08.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी श्री दिव्य प्रकाश द्वारा परिवादी को सूचना उपलब्ध कराने की एवज में पांच-छः हजार रुपये रिश्वत की मांग करना पाया जाने पर, रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 28.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री दिव्य प्रकाश कनिष्ठ सहायक ने रिश्वती राशि परिवादी श्री गजराज सिंह को अपनी टेबल पर रखे कम्प्युटर के माउस पैड के नीचे रिश्वती राशि 5000 रुपये बरामद की गई। आरोपी श्री दिव्य प्रकाश चौमाल कनिष्ठ सहायक का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिव्य प्रकाश चौमाल पुत्र श्री चौथमल चौमाल, जाति ब्राहम्ण, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 25, नया वार्ड नम्बर 34, रामदेवजी मन्दिर के पास, मुकुन्दगढ रोड, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर पालिका लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 573 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1266-69 दिनांक 29.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लक्ष्मणगढ, सीकर 3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू, उप महानिरीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/08/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Bulid (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)